फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/245

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द
निवासी जैन धर्मशाला के पास
सिरोही रोड तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

मुकदमा नं. 39 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
01.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 01.08.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पत्र क्रमांक / जनसुनवाई / 165 / 2007 / 321 दिनांक 01.08.2007 में पारित निर्णय की सम्बन्ध में सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं श्री कपूरचन्द द्वारा जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 22.05.2007 को प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रति एवं प्रार्थना पत्र में अंकित आठ बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 01.08.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पत्र क्रमांक / जनसुनवाई / 165 / 2007 / 321 दिनांक 01.08.2007 में पारित निर्णय की सम्बन्ध में सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं श्री कपूरचन्द द्वारा जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 22.05.2007 को प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रति एवं प्रार्थना पत्र में अंकित आठ बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / लो.सू.अ. / रेकर्ड / 2025 / 157 दिनांक 11.08.2025 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय बर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**